Ghosh Goswami, Shrimati Bibha
Ghulam Mohammad, Shri
Giri, Shri Sudhir
Goyal, Shri Krishna Kumar
Hannan Mohllah, Shri
Jagpal Singh, Shri
Khan, Shri Ghayoor Ali
Kunhambu, Shri K.
Kurein, Prof. P. J.
Mandal, Shri Mukunda
Mehta, Prof. Ajit Kumar
Mhalgi, Shri R. K.
Mohammed Ismail, Shri
Mukherjee, Shrimati Geeta
Mukherjee, Shri Samar
Nihal Singh, Shri
Pal, Prof. Rup Chand
Parulekar, Shri Bapusaheb
Paswan, Shri Ram Vilas
Pathak, Shri Ananda
Patnaik, Shri Biju
Rajda, Shri Ratansingh
Ram Kinkar, Shri
Roy, Shri A. K.
Roy Pradhan, Shri Amar
Saha, Shri Ajit Kumar
Shakya, Shri Ram Singh
Shastri, Shri Ramavatar
Singh, Shri B. D.
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri Chandradeo Prasad
Yadav, Shri Chandrajit
Yadav, Shri Vijay Kumar
Zainal Abedin, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result of the Division is....

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, we do not want to be a party to this. In protest we walk out.

Shri Jyotirmoy Bosu and some other hon. Members then left the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction, the result* of the division is:

Ayes—116

Noes—44

The motion is adopted.

The motion was adopted.

SHRI ZAIL SINGH: Sir, I introduce the Bill.

15.26 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

MR DEPUTY-SPEAKER: Now we take up the matters under Rule 377.

Shri Krishna Kumar Goyal.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota): Mr. Deputy Speaker, Sir...

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): Are you not walking out?

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: Yes, I have walked out and I have come in again.

SHRI ANANDA GOPAL MUKHOPADHYAY (Asansol): This is a fit case for undertiming those Members who abstain from the House while in session because they have left their place of work during the working hours without proper announcement that they are leaving.

(i) Pollution of Air and water in industrial town of Kora, Rajasthan

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के

*The following Members also recorded their votes:

Ayes: Shri Chullamani Jena and Shri P. M. Subba, ;

Noes : Shri Devi Lal

अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

"राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा, पानी और वायु प्रदूषण के प्रभाव से बुरी तरह ग्रसित है। नगर में स्थापित डी० सी० एम०, जे० के० व अन्य संस्थान अपने कारखानों में अनेक रासायनिक पदार्थ जैसे रेयन्स, यूरिया, कास्टिक सोडा, नायलान, एक्रेलिक आदि-आदि का उत्पादन करते हैं जिनके उत्पादन में अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग होता है। उत्पादन की प्रक्रिया के उपरान्त बेकार जहरीले पानी को बिना शुद्ध किए ही बरसाती नालों, नदी या नहरों में डाल दिया गया है। उक्त समस्त नाले, नदी व नहरों का पानी सिंचाई के अतिरिक्त पास बसे हुए व्यक्तियों द्वारा स्वयं अथवा पशुओं के पीने के प्रयोग में आता है जिसके कारण अनेक पशुओं की मृत्यु भी हो चुकी है तथा आस-पास पेचिश संग्रहणी आदि की बीमारियां बहुत मात्रा में फैली हुई हैं। इसी प्रकार जहरीली गैसें अमोनिया आदि को भी बिना शुद्ध किए हुए ही वायु मण्डल में छोड़ दिया जाता है। इन संस्थाओं ने शुद्धिकरण के लिए नाम मात्र का ढोंग कर के संयंत्र लगाया हुआ है परन्तु उनके द्वारा रासायनिक जहरीले गन्दे पानी को कतई शुद्ध नहीं किया जाता। पोल्यूशन बोर्ड के उसके अधिकारी कतई प्रभाव-हीन हैं उनकी मैनेजमेंट से सांठगांठ होने के कारण केवल कागजी तकमीलें कर दी जाती हैं। इस प्रकार नगर व आस-पास के क्षेत्रों में घातक स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनमानस भी इस स्थिति से आन्दोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें।

(ii) MEASURES FOR INDUSTRIALISATION OF BACKWARD TARAI AREA NEAR NEPAL

श्री रणबीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं :—

"क्षेत्रीय असन्तुलन की बात सारे देश में की जा रही है। इस असंतुलन को मिटाने के संकल्प भी लिये जा रहे है, किन्तु जब तक सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर को समान नहीं किया जावेगा स्थिति विस्फोटक बनी रहेगी।

औद्योगिक सन्तुलन बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों को इस दिशा मे विशेष महत्व दिया जा रहा है और उधर हम विशेष प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार इन पर्वतों के चरणों में बसे तराई के क्षेत्र भी विशेष ध्यान चाहते हैं। यह पूरा क्षेत्र अभी बहुत ही पिछड़ा है। बाढ़, सूखा, अना-वृष्टि, अतिवृष्टि यहां की कृषि के लिए स्वाभाविक हो गये हैं। इस क्षेत्र के निवासियों के पास न पर्याप्त भोजन है और न वस्त्र।

अविलम्ब एक विशेष औद्योगिक नीति केन्द्र द्वारा इस क्षेत्र के लिए बनायी जानी चाहिए। कच्चा माल इस क्षेत्र के जन-पदों में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विपुल वन हैं। विपुल कच्चा माल कागज बनाने के लिए उपलब्ध हैं। बाराबंकी में यदि सूत की सस्ती उपलब्धि सुनिश्चित करा दी जावे, वहां के बुनकरों को नयी तकनीक का ज्ञान करा दिया जावे तो सफलता पूर्वक उस क्षेत्र के लोगों को जीवन-